दिनांक 1 सितम्बर, 1980

क्रमांक 1314-ज-I-80/31950.—श्री प्रेम सिंह, पुत्र श्री सुलतान सिंह, गांव अधियारपुर, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला नारनौल की दिनांक 2 मई, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रेम सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4834-ज-III-69/28690, दिनांक 3 दिसम्बर, 1969 तथा 5341-आ-III-77/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चितरा के नाम खरीफ 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 9 सितम्बर, 1980

क्रमांक 1197-ज-(II)-80/31947.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सरती देवी, विधवा श्री शिव चन्द गांव पाड़ा, तहसील व जिला करनाल को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1304-ज-(II)-80/31952.—श्री खजान सिंह, पुत्र श्री नानक सिंह, गांव मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र की दिनांक 21 मई, 1978 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री खजान सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 430/आर(I)-67/3180, दिनांक 12 सितम्बर, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आरIII-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गयी थी, अब उसकी विधवा श्रीमती ठाकुर कौर के नाम खरीफ, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 834-ज(II)-80/31958.—श्री रामजी लाल, पुत्र श्री मुरली, गांव सुरहती, तहसील झज्जर जिला रोहतक की दिनांक 5 अक्तूबर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए) 1(ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री रामजी लाल की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 429-ज (II)-74/1997, 18 जून, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गयी थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सारा के नाम खरीफ, 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1035-ज(II)-80/31962.—श्री मंगल सिंह, पुत्र श्री गिरधारी लाल, गांव नाहड़, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 9 जून, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री मंगल सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1912-र(III)-69/16000, दिनांक 28 जून, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर.-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गयी थी, अब उसकी विधवा श्रीमती हरदई के नाम रबी, 1979 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 833-ज-(II)-80/32079.—श्री कूड़ा राम, पुत्र श्री तोता राम, गांव अच्छेज, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 8 अक्तूबर, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3 (1) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कूड़ा राम को मुल्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 586-ज(II)-78/13018, दिनांक 8 मई, 1978 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर. III-70/29505 दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गयी थी, अब उसकी विधवा श्रीमती शान्ति के नाम दिन खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।